दिनांक 16.05.2018 को निदेशक, बामेती, बिहार, पटना की अध्यक्षता में कृषि पुस्तकों/तकनीकी बुलेटिनों के प्रकाशन/मुद्रण हेतु मूल्यदर निर्धारण, प्रतिष्ठानों का चयन तथा सुचीबद्ध करने हेतु प्रतिष्ठानों के साथ आयोजित प्रीबिड बैठक की कार्यवाही एवं सुझाव के आधार पर विज्ञापन की विशेष शर्त्तें

1. निदेशक, बामेती, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि निविदा में सामान्य जी0एस0टी0 के अतिरिक्त 02 प्रतिशत जी0एस0टी0 के लिए एवं 02 प्रति टी0डी0एस0 के लिए राशि की कटौती बामेती द्वारा श्रोत पर की जाएगी तथा सभी कर सहित मूल्यदर कोट करने का अनुरोध किया गया।
2. प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए –

2.1. प्रिंटिंग मशीन वाले प्रतिष्ठानों को हीं प्रिंटिंग के लिए पुस्तिकाओं/तकनीकी बुलेटिनों को प्रिंटिंग करने हेतु आपूर्ति आदेश देने का सुझाव प्राप्त हुआ।

2.2. निविदा की न्यूनतम शर्त्तों की कंडिका सं0 3.2 में तीन वर्षों का अनुभव निर्धारित है परन्तु निविदा के आवेदन पत्र में 05 वर्ष अंकित हो गया है जिसे सुधार करने का अनुरोध किया गया। निदेशक, बामेती द्वारा बताया गया कि निविदा की न्यूनतम शर्त्तों की कंडिका सं0–3.2 में तीन वर्ष का हीं अनुभव निर्धारित है इसलिए उसी के अनुसार तीन वर्ष हीं निविदा आवेदन में अनुभव समझा जाए।

2.3. 64 पेज के पुस्तक का बांइडिंग सेन्ट्रल स्टीच से तथा 64 पेज से अधिक पृष्ठ के पुस्तक का ब्लू बांइंडिंग के रूप में परफेक्ट बांइंडिंग कराने का सुझाव दिया गया ताकि पुस्तक का टिकाऊपन बना रहे अन्यथा बांइंडिंग उखड़ने का डर रहता है।

2.4. चाइनीज पेपर का वजन कम होता है इसलिए पेपर का वजन 128/130 जी0एस0एम0 रखा जाए।

2.5. चूँकि निविदा की राशि ज्यादा है इसलिए ससमय पुस्तकों की आपूर्ति हेतु निविदा दाता से निविदित राशि का 2 प्रतिशत Performance Security Deposit के रूप में लिया जाना आवश्यक है ताकि ससमय आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में इसे जब्त कर प्रतिष्ठान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

2.6. गुणवत्तापूर्ण कागज पर पुस्तकों की छपाई के लिए आपूर्तिकर्त्ता को 70 प्रतिशत राशि का भुगतान प्राधिकृत पदाधिकारी को पुस्तकों के आपूर्ति के पश्चात उनसे आपूर्ति संबंधी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद के आधार पर भुगतान किया जाएगा। शेष 30 प्रतिशत का भुगतान कागज के थीकनेस/जी0एस0एम0 की जाँच/सत्यापन के उपरांत किया जाना चाहिए।

2.7. प्रिंटिंग होने वाले पुस्तकों पर क्रमांक संख्या अंकित किया जाना चाहिए। इससे पुस्तकों की छपाई में गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी तथा लेखा–जोखा आसानी से हो सकेगा।

3. उपस्थित सभी 16 प्रतिष्ठानों को सूचित किया गया कि इसे प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना से अनुमोदन के उपरांत शुद्धि पत्र के रूप में बामेती/कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
4. प्रत्येक पुस्तक का बार कोडिंग किया जाएगा।

उपर्युक्त पर प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

18/5/18

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

ज्ञापांक 56/बामेती/2018 976 दिनांक –18/05/2018

प्रतिलिपि – प्रीबिड में उपस्थित प्रतिष्ठानों तथा निविदा में भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – उप निदेशक (शस्य) सूचना/आई0टी0 मैनेजर कृषि विभाग/उप निदेशक (सूचना तकनीक), बामेती को सूचनार्थ एवं कृषि/बामेती के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/5/18

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना